निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः C/4880 /दि0ज0स0/लेखा/बजट/2020–21 लखनऊ दिनांकः 15 फरवरी, 2021

आहरण वितरण अधिकारी,
मुख्यालय।

विषयः– अनुदान संख्या–79 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02 समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–05–समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना–26–मशीनें और सज्जा/उपकराण और संयंत्र का बजट आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–79 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02–समाज कल्याण 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–05–समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय (लखनऊ) की स्थापना–26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र हेतु शासनादेश संख्या–79/2020/1409/65–2–2020–19(बजट)/2018 दिनांक–13.08..2020 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसका आवंटन ₹ 25,00,000/–(₹ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के आधीन संलग्नकानुसार एतद् द्वारा आपके निवर्तन पर रखी जाती है।

शर्ते एवं प्रतिबन्धः–

1. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहॉ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
2. आवंटित धनराशि में से समय–समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी0एल0ए0 में न रखी जाये। आवंटित धनराशि का शत–प्रतिशत इसी वित्तीय वर्ष में व्यय आपका उत्तरदायित्व है।
3. जिन मदों में धनराशि आवंटित की गयी है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।
4. प्रयोजना में फर्नीचर, किचेन इक्यूपमेन्ट तथा वाटर कूलर एवं आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना से संबंधित कार्य प्रस्तावित है। अतः प्रश्नगत कार्य हेतु निदेशालय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसकी देख रेख में प्रश्नगत कार्यो का सम्पादन किया जायेगा।
5. प्रायोजना की अनुमोदित लागत में प्रस्तावित जी0एस0टी0 के प्रतिभार प्रतिशत को अनुमन्य नहीं करते हुए लागत आंकलित/अनुमन्य की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
6. प्रयोजना में फर्नीचर, किचेन इक्यूपमेन्ट तथा वाटर कूलर एवं आर0 ओ0 की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित है। कियान्वयन से पूर्व इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा केआधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का यह दायित्व होगा निर्माण के समय इनका कय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
7. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे–नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, समक्ष स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा किय यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यकम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यकम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. धनराशि/आहरण वितरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020/बी–1–149/दस–2020–231/2020 दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश संख्या–6/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मुख्यालय का होगा।

11. प्रस्तावित वस्तुओं का मानक निर्धारित करते हुये जेम पोर्टल के माध्यम से उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा पारदर्शी तरीके से स्वयं किया जायेगा तथा इसमें कार्यदायी संस्था का सहयोग नहीं लिया जायेगा।

12. उपकरणों एवं सामग्रियों के क्रय संबंधी नियमों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मुख्यालय का होगा।

13. सामग्री की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का सम्पूर्ण दायित्व उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मुख्यालय का होगा।

14. इस संबंध में निर्धारित योजना की गाइलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. शासनादेश संख्या–79/2020/1409/65–2–2020–19(बजट)/2018 दिनांक–13.08..2020 की शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अनूप कुमार)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, अनु0–2
2. महालेखाकार हकदारी/ऑडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक।
5. श्री राहुल अग्रवाल, वरिष्ठ सहायक को बजट आवंटन एवं शासनादेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आबिद अली अंसारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

संख्या-79/2020/1409/65-2-2020-19(बजट)/2018

प्रेषक,

अजीत कुमार ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 अगस्त, 2020

विषय: समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-लखनऊ में फर्नीचर, उपकरण, बर्तन इत्यादि हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-5956/दि0ज0स0वि0/समेकित-लखनऊ/फर्नीचर/2019-20 दिनांक 18.02.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-लखनऊ में फर्नीचर, उपकरण, बर्तन इत्यादि हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 110.86 **लाख (रूपये एक करोड़ दस लाख छियासी हजार मात्र) + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) (विवरण संलग्न) की प्रशासकीय एवं वित्तीयं स्वीकृति तथा इस कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र)** निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) **प्रायोजना में फर्नीचर, किचेन इक्यूपमेन्ट तथा वाटर कूलर एवं आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना से संबंधित कार्य प्रस्तावित हैं। अत: प्रश्नगत कार्य हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी देख-रेख में प्रश्नगत कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।**

(ii) प्रायोजना की अनुमोदित लागत में प्रस्तावित जी0एस0टी0 के प्रतिभार प्रतिशत को अनुमन्य नहीं करते हुए लागत आंकलित/अनुमन्य की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

(iii) प्रायोजनान्तर्गत फर्नीचर, किचेन इक्यूपमेन्ट तथा वाटर कूलर एवं आर0ओ0 की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित है। क्रियान्वयन से पूर्व इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का यह दायित्व होगा कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(iv) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्राबधानों को यथावत् मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, समक्ष स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(v) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वी ति से पू निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(vi) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञा संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या 6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा वित्ती हस्तपुस्तिका के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगज सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(vii) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा अवमुक्त धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(viii) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(ix) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हे किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्धकराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(x) **प्रस्तावित वस्तुओं का मानक निर्धारित करते हुये GeM Portal के माध्यम से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा पारदर्शी तरीके से स्वयं किया जायेगा तथा इसमें कार्यदायी संस्था क सहयोग नहीं लिया जायेगा।**

(xi) उपकरणों एवं सामग्रियों के क्रय संबंधी नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(xii) सामग्री की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

2. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-05-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-4-542/दस-2020 दिनांक-10 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

भवदीय,
अजीत कुमार
विशेष सचिव।